न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुकत, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 75/2022

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. इन्द्रचन्द पुत्र तेजाराम उर्फ तेजमल 2. मगराज पुत्र तेजाराम उर्फ तेजमल 3. बंशीलाल पुत्र तेजाराम उर्फ तेजमल 4. राजुलाल पुत्र तेजाराम उर्फ तेजमल 5. अर्जुनलाल पुत्र तेजाराम उर्फ तेजमल 6. जगदीशलाल पुत्र तेजाराम उर्फ तेजमल 7. मूनादेवी पत्नी तेजाराम उर्फ तेजमल		1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार सेखाला जिला जोधपुर **प्रफोर्मा रेस्पोडेंट–** 2. घनश्याम पुत्र परमसुख 3. गोपालकृष्ण पुत्र परमसुख 4. हरनारायण पुत्र परमसुख (जातियान ब्राह्मण, निवासी प्रेमसिंह नगर, तह0 सेखाला जिला जोधपुर) 5. भंवरसिंह 6. गजेसिंह 7. माणकलाल 8. लिखमसिंह 9. मधुसुदन (निवासी प्रेमसिंह नगर, तहसील सेखाला जिला जोधपुर)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी बालेसर प्रकरण संख्या 131/2021 आदेश 17.12.2021

उपस्थिति –
1. श्री सुगनमल परिहार, वकील अपीलांट्स
2. श्री घनश्याम जोशी वकील रेस्पो0सं0 2 से 4
3. श्री गुलाबसिंह चम्पावत वकील रेस्पो0सं0 5 से 9
4. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 1 की ओर से

निर्णय

दिनांक 06 .11.2024

प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य मुख्यतः इस प्रकार से है कि उपखण्ड अधिकारी बालेसर (जोधपुर) के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2021 के द्वारा तहसीलदार सेखाला द्वारा प्रस्तावित राजस्व ग्राम प्रेमसिंह नगर के उल्लेखित खसरान की भूमि में से रास्ते में उपयोग हो रही भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लटठ्ा) ट्रेस में दुरस्ती एवं राजस्व रेकर्ड में विद्यमान कदीमी रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे न्यायहित में स्वीकार कर प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

बहस सुनी गई। दौरान सुनवाई वकील अपीलांट्स ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि ग्राम प्रेमसिंहनगर के ख0नं0 425 की भूमि अपीलांट्स एवं रेस्पो0सं0 2 से 4 की संयुक्त खातेदारी की है। जिसकी दक्षिणी माठ के सहारे अपीलांट्स के मकानात बने हुए है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व अभियान में कैम्प कनोडिया पुरोहितान में उक्त खसरान के दक्षिणी माठ के सहारे 1 बीघा भूमि को रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया है व ढाणियों के आगे नक्शें में रास्ता दर्ज कर दिया है। उक्त आदेश बिना नोटिस व सुनवाई के पारित किया गया है। मौके पर कोई रास्ता चालू नही है और ना ही रास्ते की आवश्यकता थी और न ही किसी व्यक्ति द्वारा रास्ते की मांग की गई है। उक्त आदेश हल्का पटवारी की एकतरफा रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया है, रिपोर्ट में ख0नं0 425 के खातेदार के हस्ताक्षर नही है। आरएलआर एक्ट की धारा 131 व 136 के प्रावधानों के तहत खातेदार की सहमति के बिना उसकी कृषि भूमि अन्य उपयोग में परिवर्तित नही की जा सकती है। तहसीलदार को किसी प्रकार के रास्ते की आवश्यकता है तो राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 में रास्ते संबंधी प्रावधान उपलब्ध है। प्रकरण में सह–खातेदार द्वारा अन्य सह– खातेदारों की सहमति के बिना ही 1 बीघा भूमि का समर्पणनामा कर दिया गया है। जबकि ऐसा करने की कोई आवश्यकता नही है, क्योंकि ख0नं0 425 की उत्तरी माठ के सहारे रास्ता चल रहा है, जिसे चालू रखने में अपीलार्थी ने कोई एतराज नही किया। हल्का पटवारी द्वारा इस खसरे के दक्षिणी माठ के सहारे गलत रास्ता दर्ज कर दिया है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0 अधिवक्ताओं द्वारा अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि अपीलाधीन आदेश द्वारा ग्राम प्रेमसिंह नगर के ख0नं0 425, 423, 420, 418 व 414 की भूमि में से कुल 3.15 बीघा भूमि गै0मु0 रास्ते में दर्ज करने का आदेश पारित किया है। ख0नं0 425 में रास्ता था, जिस पर ग्रेवल सड़क भी बनी हुई है। यह रास्ता प्रेमसिंह नगर मुख्यालय जाने का एक मात्र रास्ता है, जो लबारन डामर सड़क से लिंक था तथा उक्त खसरान की भूमि खातेदारों द्वारा रास्ते के रूप में दान दी गई है। यदि ख0नं0 425 में से रास्ता बन्द कर दिया जाता

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

है, तो प्रत्यर्थी सं0 5 से 9 का आवागमन रुक जावेगा तथा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। अतः सार्वजनिक हित में अपीलाधीन आदेश यथावत रखने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार सेखाला के प्रस्ताव पर आरएलआर एक्ट की धारा 131, 132 व 136 के प्रावधानों एवं रा0भू0अ0 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 व 86 के तहत पारित किया गया है। उक्त रास्ता ग्राम प्रेमसिंह नगर के 5 खसरान में से काटा गया है। फसल गिरदावरी संवत् 2076 के दौरान मौके पर चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ते को राजस्व रेकर्ड दर्ज करने की अनुशंषा की गई है, जिसमें संबंधित खातेदारों द्वारा सहमति दी गई है। मौके पर ग्रेवल सड़क बनी हुई है। अतः अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत व सार्वजनिक हित में होने से अपील खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त कार्यवाही तहसीलदार सेखाला से प्राप्त प्रस्ताव कर की गई है। मौका फर्द दिनांक 17.12.21 के अनुसार फसल गिरदावरी संवत् 2076 के दौरान रूबरू मौतबिरान मौके पर कुल 5 खसरों में चालू सार्वजनिक रास्ते का राजस्व रेकर्ड में अंकन हेतु प्रस्ताव तैयार कर, संलग्न नजरी नक्शा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अंकन करना प्रस्तावित किया गया है। सरपंच ग्रा0पं0 कानोडिया पुरोहितान के प्रमाण पत्र कमांक 301 दिनांक 25.1.22 के अनुसार अपीलाधीन ख0नं0 425 में वर्ष 2009 से ग्रेवल सड़क सर्व सहमति से बनी हुई है। अतः अपीलाधीन आदेश सार्वजनिक हित में विधिसम्मत होने से इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स स्वीकार योग्य नही पायी जाने से तद्नुसार खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा प्रकरण नं0 131/2021 अनवान तहसीलदार सेखाला बनाम समस्त गांव प्रेमसिंह नगर में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06 नवम्बर, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर